फा. सं. जीएसटी/आईएनवी/अरेस्ट- कैविएट/18-19

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड

जीएसटी – अन्वेषण प्रकोष्ठ

****

दिनांक 29 मई, 2019

निर्देश सं. 01/2019-20 [जीएसटी – अन्वेषण]

विषय: जीएसटी के तहत गिरफ्तारी - माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कैविएट दाखिल करने के संबंध में।

यह देखा गया है कि फर्जी चालान जारी करने और नकली चालान के आधार पर आईटीसी का लाभ उठाने के कई मामलों में, जिन लोगों ने इन धोखाधड़ी कृत्यों को किया है / करवाया है, उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालयों से, खासकर की सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69 के तहत गिरफ्तारी की शक्ति को चुनौती देकर, न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गयी है। ऐसे मामलों में जहाँ याचिकाकर्ता माननीय उच्च न्यायालयों से राहत प्राप्त करने में विफल रहे हैं, उनमे एसएलपी भी दायर की गई हैं ।

2. इस संबंध में, 27.05.2019 को पारित सबसे हालिया निर्णय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तेलंगाना राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 4764/2019 में पारित निर्णय दिनांक 18.04.2019 के खिलाफ दायर एक एसएलपी [एसएलपी (आपराधिक) 4430/2019 आदि] को खारिज कर दिया है। इस एसएलपी में, याचिकाकर्ता ने अन्य बिन्दुओं के अलावा यह मुद्दा भी उठाया था कि क्या सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69 के तहत प्रदान की गई गिरफ्तारी की शक्ति का उपयोग आयुक्त द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 73(1) के अंतर्गत नोटिस जारी किए बिना किया जा सकता है?; कि क्या जीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत अधिकारियों को गिरफ्तारी करने का अधिकार है?; कि क्या जीएसटी अधिनियम, 2017 के अंतर्गत अधिकारी, पुलिस अधिकारी हैं?

3. उपरोक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए, यह निर्देश दिया जाता है कि ऐसे सभी मामलों में, जहां माननीय उच्च न्यायालयों ने जीएसटी के अंतर्गत 'गिरफ़्तारी के अधिकार' को चुनौती दी गयी है, में याचिकाकर्ता (याचिकाकर्ताओं) को राहत नहीं दी है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में तुरंत कैविएट दायर की जाए।

4. मामले में की गई कार्रवाई के संबंध में एक रिपोर्ट तुरंत बोर्ड को भेजी जाए।

5. यह निर्देश सदस्य (अन्वेषण) के अनुमोदन से जारी किया गया है।

ह/-
नीरज प्रसाद
आयुक्त [जीएसटी - अन्वेषण], सीबीआईसी
10वां माला, टावर-2, 124, कनाट सर्कस,
नई दिल्ली-110001,
दूरभाष सं. 011-21400623

सेवा में:

प्रधान महानिदेशक [डीजीजीआई] / प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी, सभी जोन।